

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / मेरिट नंबर-1441/2013/3918

दिनांक :- 22-07-2019

कार्यालय आदेश

श्री विजय सिंह वर्मा कनि० लेखाकार मेरिट नंबर-1441/2013 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय कोषाधिकारी उदयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक -25.09.2018 से 28.09.2018 तक (कुल 04 दिवस)

(दिनांक- 29.09.2018 से 30.09.2018 तक का अनुवर्ती राजकीय अवकाश सहीत)

उक्त कुल 04 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री विजय सिंह वर्मा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / मेरिट नंबर-1441/2013/3918

दिनांक :- 22-07-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. कोषाधिकारी उदयपुर
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री विजय सिंह वर्मा, कनि० लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, उदयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)